संख्या- 54 /2025/1153/2025/1862321/2025 /12-5/39/2023

प्रेषक,

दीपक कुमार,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   राजस्व विभाग/चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक: 11 सितम्बर, 2025

विषयः-ई-खसरा पड़ताल (DCS) के अन्तर्गत खरीफ मौसम 2025 से डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य लेखपाल के स्थान पर प्राइवेट सर्वेयर द्वारा वर्तमान दर से लिए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-48/2025/913/2025/ 1862321/2025/12-5/39/2023, दिनांक 30 जुलाई, 2025 में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

ई-खसरा पड़ताल (DCS) अन्तर्गत खरीफ मौसम 2025 से सर्वेयर, सुपरवाइजर तथा वेरिफायर के नियोजन सम्बन्धी तथा उनके प्रोत्साहन राशि/मानदेय से सम्बन्धित कृषि अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-48/2025/913/2025/1862321/2025 /12-5/39/2023, दिनांक 30 जुलाई, 2025 में निम्नवत आंशिक संशोधन किया जा रहा हैः-

1. सर्वेयर के रूप में जनपदों में पंचायती राज विभाग के पंचायत सहायक, ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम रोजगार सेवक एवं कृषि विभाग के खण्ड तकनीकी प्रबन्धक (बीटीएम), सहायक तकनीकी प्रबन्धक (एटीएम) एवं ऐसे युवा जिनके पास स्वयं का एन्ड्रायड मोबाइल फोन हो एवं उसको भलीभांति प्रयोग करना जानते हो तथा फसलों की पहचान का ज्ञान हो (सम्बन्धित राजस्व ग्राम/न्याय पंचायत के युवक को प्राथमिकता प्रदान की जाये) आदि का सर्वेयर के रूप में कार्य करने हेतु चयन किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार गन्ना एवं उद्यान विभाग के समकक्ष क्षेत्रीय कार्मिकों का भी चयन किया जा सकता है। प्रत्येक सर्वेयर के लिए सर्वे करने हेतु गाटों की अधिकतम संख्या 3000 निर्धारित की जाती है एवं इस कार्य को 25 सितम्बर, 2025 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. सर्वेयर्स द्वारा किये गये सर्वेक्षण को सुपरवाइज करने के लिए अधिकतम 10 सर्वेयर्स का एक ग्रुप बनाया जायेगा तथा प्रत्येक ग्रुप हेतु एक सुपरवाइजर होगा। सुपरवाइजर का कार्य राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल के अतिरिक्त कृषि विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सहायक वर्ग-बी से भी कराया जा सकता है।

अन्य दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-48/2025/913/2025/1862321/2025/12-5/39/2023, कृषि अनुभाग-5 दिनांक 30 जुलाई, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार पूर्ववत रहेंगे।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
मुख्य सचिव

संख्या- 54 /2025/1153/2025/1862321/2025 /12-5/39/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।